अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

विषयः—सत्रकाल में माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं विशेष उल्लेख प्रस्तावों की तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित समयावधि में भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय को संबोधित एवं इस विभाग को पृष्ठांकित अ.शा. पत्रांकः एफ.8(5)सदन/विस/1999/5540—5541 दिनांक 12.02.2021 की छाया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि पत्र में वर्णित तथ्यों एवं लंबित प्रस्तावों (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं विशेष उल्लेख प्रस्ताव) के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित **समयावधि (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हेतु तीन दिवस तथा विशेष उल्लेख प्रस्ताव हेतु सात दिवस)** में विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं करवाना स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है तथा माननीय सदस्यों ने इस कार्यशैली के संबंध में आपत्ति व्यक्त की है।

विधानसभा सचिवालय ने चाहा है कि वर्तमान षष्ठम् सत्रकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं विशेष उल्लेख प्रस्तावों की वांछित तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय को प्राथमिकता देते हुये इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करावे कि सत्रकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं विशेष उल्लेख प्रस्तावों की वांछित तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से विधानसभा सचिवालय में पहुंच जाये। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाये अन्यथा प्रकरण माननीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुरूप समुचित कार्यवाही हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में ला दिया जायेगा।

कृपया प्रकरण में विधानसभा सचिवालय को अवगत कराते हुये इस विभाग को भी सूचित करने का श्रम करावें।

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

17.2.2021
प्रमुख शासन सचिव।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।

अशा.टीप क्रमांकःप.26(3)संसद/2019
जयपुर, दिनांकः 17.02.2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय को उनके संदर्भित अ.शा.पत्र दिनांक 12.02.2021 के संदर्भ में।
2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को उनकी प्राप्ति संख्या 748744/सीएसओ/21 दिनांक 12.02.2021 के अनुक्रम में।
3 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

D:\PAD\15th RLA\Prastav\Prastav CS Letter-2019.docx

प्रमिल कुमार माथुर
सचिव
राजस्थान विधान सभा

सत्रकार्य/सदन शाखा/अविलम्बनीय
तुरन्त जारी हो।

फैक्स नं. 0141-2744333/2744334
दूरभाष नं. 2744326, 2744301/107

अ.शा. पत्रांक : एफ. 8(5)सदन/विस/1999/5540 जयपुर, दिनांक : 12 जनवरी, 2021

विषय : सत्रकाल में माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं विशेष उल्लेख प्रस्तावों की तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित समयावधि में भिजवाने के संबंध में।

प्रिय श्री आर्य सा०,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार निवेदन है कि सत्रकाल में माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्राप्त होते है और इन्हें राज्य सरकार के संबंधित विभाग को ऑनलाईन प्रेषित कर, प्रस्ताव से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उनकी ग्राहयता विनिश्चित किये जाने हेतु क्रमश: तीन दिवस एवं सात दिवस में वांछित होती है।

15वीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में निरन्तर यह देखने में आया है कि राज्य सरकार के शासकीय विभागों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं विशेष उल्लेख प्रस्तावों से संबंधित वांछित तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित अवधि में नहीं भिजवाई जाती है। जबकि इस संबंध में विभाग के अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव को समय-समय पर अनुस्मरण भी करवाया जाता है। उसके उपरान्त भी पालना नहीं होने की स्थिति में इस सचिवालय द्वारा कई बार लम्बित प्रस्तावों के जवाब निर्धारित समयावधि में भिजवाने बाबत् आपका ध्यान आकर्षित किया गया है।

सत्रकाल में माननीय सदस्यों द्वारा जनहित के मामलों से संबंधित प्रस्तावों की तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित समयावधि में इस सचिवालय को उपलब्ध नहीं करवाना स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। माननीय सदस्यों ने भी इस कार्यशैली के संबंध में आपत्ति व्यक्त की है।

अत: आपसे आग्रह है कि वर्तमान षष्ठम सत्रकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं विशेष उल्लेख प्रस्तावों को वांछित तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने बाबत समस्त विभाग के शासन सचिवों को सख्त निर्देश प्रसारित करने का श्रम करें। साथ ही इस हेतु आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को भी अवगत कराने का श्रम करें।

सदभावी, आदर सहित

(प्रमिल कुमार माथुर)

श्री निरन्जन कुमार आर्य,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।